

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 2nd December, 2016

No. 7/31/2014-3AR; – In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated 15.02.2016, in Schedule,-

(1) after serial number 20, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"20 A	Revenue & Disaster Management Department	Provision for Jalsa/Public Meeting/Jaloos/Shobha Yatra/Chhath Puja/ Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 B	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Funfair/Circus/Magic Show(Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire, Excise Deptt.)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 C	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Tournaments/ Games (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, Sports Officer)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 D	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Jalsa/Public Meeting / Jaloos/ Shobha Yatra/ Chhath Puja/Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner

20 E	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Funfair/ Circus/ Magic Show (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 F	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Tournaments/ Games (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 G	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Loudspeaker/DJ (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
20 H	Revenue & Disaster Management Department	Permit/Permission for Vehicle during Parliamentary Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M.)	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana
20 I	Revenue & Disaster Management Department	Permit/Permission for Vehicle during Assembly/State Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	As per direction of Election Commission	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana
20 J	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Assembly/ State Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	As per direction of Election Commission	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana

20 K	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Parliamentary Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M..)	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana"
------	--	---	---	--	-------------------------	-----------------------------------

(2) after serial number 63, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"63 A	Power Department	Certification of Electrical Installation by Chief Electrical Inspector above 33KV	30 days	Concerned Executive Engineer	Chief Electrical Inspector	Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary, Power"

(3) after serial number 128, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"128 A	Food & Supplies Department	(i) Constitute a team for measurement of distance parameters To constitute a joint team of concerned Halqa Patwari/ Kanoongo and Nayab Tehsildar/ Tehsildar of the Revenue Deptt. and Food & Supplies Deptt. (Nor below than AFSSO rank) for measurement of the purposed brick kiln site in view of the clause 4 (iii) of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.	4 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(ii) Measurement Report of distance parameters Team will measurement the distance parameters in the presence of the applicant or the authorized representative of the applicant and submit his report.	15 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(iii) Approval for construction of Brick Kiln Approval/ Clearance for construction of Brick Kiln (Chimney & Vessel) under clause 3A of Form 'A' of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972 according to the guidelines of the Haryana Pollution Control Board. If the conditions of the distance parameters will be found as per provisions of the Control	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department

		Order (clause 4(iii)). The applicant will be informed whether the distance parameters will not found as per the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.				
		<p>(iv) Issuance of Brick Kiln Licence for manufacturing and selling Bricks</p> <p>To issue Brick Kiln licence for manufacturing and selling Bricks.</p> <p>Applicant/ Brick Kiln owner will operate his Brick Kiln only after getting Permit of Mines & Geology Deptt. Consent of Haryana Pollution Control Board and Licence of Controlled Area from District Town Planer if the Site of the Brick Kiln falls in controlled area. Otherwise NOC of District Town Planner/ Municipal Corporation</p>	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department".

(4) after serial number 143, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"143 A	HUDA	Water Connection	5 days Residential 7 days Commercial/ Industrial	1. Junior Engineer, 2. Sub Divisional Engineer & 3. Executive Engineer	Superintending Engineer	Administrator"

(5) after serial number 189, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"189 A	Labour Department	Registration of Establishment engaged in Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (28 of 1996)	30 days	Assistant Director (IS&H)/ Deputy Director (IS&H)/ Assistant Director, IH/ Deputy Director IH & Joint Director IS&H	Labour Commissioner	Principal Secretary"

(6) after serial number 199, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be added, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"200	Mines and Geology Department	Licence for Stone Crushers under the Haryana Regulation and Control of Crushers, Act, 1991 to stone crushers owners	21 days	Director, Mines and Geology	Administrative Secretary	Chief Secretary
201	Mines and Geology Department	Permit for the extraction of brick earth to brick kiln owner for manufacturing of bricks.	15 days	Officer Incharge at District Level	State Mining Engineer	Director, Mines and Geology

202	PWD (B&R)	(a) Clearance for entry/ exit from State Highway/ Scheduled Road under MORT&H Guidelines	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(b) Permission for laying of Natural Gas/ Pipelines ROU	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(c) Permission for Right of use (RoU) for laying the Communication Infrastructure & associated installation like Optical Fiber Cable	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief".

D.S. DHESI,
Chief Secretary to Government of Haryana.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 11, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार
प्रशासकीय सुधार विभाग
अधिसूचना
दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

(1) क्रम संख्या 20 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"20 क	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	जलसा/ जनसभा/ जलूस/ शोभा यात्रा/ छठ पूजा/ विवाह हेतु उपबंध (केवल एस०पी०, एस० डी० एम०, एम०सी० फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
20 ख	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतु अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, एम० सी० फायर तथा आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	

20 ग	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	टूर्नामेंट/खेल के लिए अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, खेल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
20 घ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	जलसा/सार्वजनिक बैठक/जलूस/ शोभा यात्रा/ छठपूजा/विवाह के लिये लाउडस्पीकरों /डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू ।	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 ङ.	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतु लाउडस्पीकरों / डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 च	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	टूर्नामेंट/खेल हेतु लाउडस्पीकरों/ डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 छ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	लाउडस्पीकरों/डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
20 ज	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन हेतु परमिट/ अनुमति (केवल एस०पी०, एस०डी०एम० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 झ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट/अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 ञ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
20 ट	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल एस०पी०, एस०डी०एम० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

(2) क्रम संख्या 63 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
63	“विद्युत विभाग	33 के०वी० से ऊपर के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत संस्थापन का प्रमाणीकरण	30 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियंता	मुख्य विद्युत निरीक्षक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, विद्युत”।

(3) क्रम संख्या 128 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
“128	खाद्य तथा पूर्ति विभाग	(i) दूरियों संबन्धी पैरामीटर की पैमाइश के लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्का पटवारी/ कानूनगो तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्ठा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना	4 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(ii) दूरियों संबन्धी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट टीम दूरियों संबन्धी पैरामीटर की पैमाइश आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	15 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iii) ईन्ट भट्ठे के निर्माण की अनुमति हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप क के खण्ड 3 के अधीन ईन्ट भट्ठे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की शर्तें हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित किया जायेगा यदि दूरी पैरामीटर नियंत्रण आदेश के अनुसार नहीं पाई जायेगी।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iv) ईट बनाने व बेचने के लिये ईट भट्ठे का लाईसैंस जारी करना आवेदक/ईन्ट भट्ठा स्वामी केवल खान तथा भू-विज्ञान विभाग से परमिट, हरियाणा प्रदुषण बोर्ड से सहमति तथा जिला नगर योजनाकार से नियंत्रित क्षेत्र का लाईसैंस, यदि ईन्ट भट्ठा का स्थल नियंत्रित क्षेत्र में आता है, प्राप्त करने के बाद अपना ईन्ट भट्ठा संचालित करेगा। अन्यथा जिला नगर योजनाकार/नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग”।

(4) क्रम संख्या 143 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"143 क	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	पानी का कनेक्शन	5 दिन रिहायसी 7 दिन वाणिज्य/ औद्योगिक	1.कनिष्ठ अभियंता, 2. उप मंडल अभियंता और 3. कार्यकारी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	प्रशासक"।

(5) क्रम संख्या 189 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"189 क	श्रम विभाग	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अधीन नियोजित प्रतिष्ठान का पंजीकरण	30 दिन	सहायक निदेशक (आई०एस० एंड एच०)/ सहायक निदेशक आई०एच०/उपनिदेशक, आई०एच० एंड सयुक्त निदेशक आई०एस० एंड एच०	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव"।

(6) क्रम संख्या 199 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"200	"खनन तथा भू-विज्ञान विभाग	पत्थर क्रेशर मालिकों को हरियाणा क्रेशर विनियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 1991(1992 का 15) के अधीन स्टोन क्रेशर स्वामियों को स्टोन क्रेशर के लिए लाईसेंस	21 दिन	निदेशक, खनन तथा भू-विज्ञान	प्रशासकीय सचिव	मुख्य सचिव"।
"201	"खनन तथा भू-विज्ञान विभाग	ईट भट्टा/ ईन्ट स्वामी को ईन्ट निर्माण हेतु मिट्टी की निकासी के लिए परमिट	15 दिन	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी	राज्य खनन अभियंता	निदेशक, "खनन तथा भू-विज्ञान"।
"202	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	(क) राज्य राजमार्ग/एम०ओ० आर० टी० एवं एच० के दिशानिर्देशों के अधीन अनुसूचित सड़क से प्रवेश/निकासी के लिए समाशोधन	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
		(ख) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस/ पाइपलाईन बिछाने की अनुमति	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
		(ग) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत संचार अवसरचना और सहयुक्त स्थापना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति।	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता"।

डी०एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

हरियाणा सरकार

मुख्य सचिव कार्यालय
प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जून, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0 दिनांक 15 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची में:-

(1) क्रम संख्या 47 के सामने, खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी; अर्थात्:-

2	3	4	5	6	7
“जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल जारी करना	3 दिन	संबंधित उप मण्डल अभियन्ता	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता”।

(2) क्रम संख्या 189 के सामने खाना 3 के नीचे विद्यमान मद 4 के बाद, खाना 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे निम्नलिखित मदें जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

3	4	5	6	7
“(5) टेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) अधीन टेकेदारों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण	26 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
(6) कारखानों अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के प्रावधानों के अधीन लाइसेन्स का नवीकरण	45 दिन	अपर अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
(7) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का नवीनीकरण	15 दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त।”

डी0 एस0 डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 1st June, 2016

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the schedule,-

(i) against serial number 47, under columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

	2	3	4	5	6	7
	“Public Health Engineering Department	Issuance of duplicate water/sewer bill	3 days	Concerned Sub Divisional Engineer	Concerned Executive Engineer	Concerned Superintending Engineer”;

(ii) against serial number 189, under columns 3, 4, 5, 6 and 7 of after item (iv) the following items shall be inserted, namely:-

	3	4	5	6	7
	“(v) renewal of License for contractors under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act No. 37 of 1970)	26 days	Concerned Deputy Labour Commissioner	Labour Commissioner	Additional Chief Secretary Labour and Employment
	(vi) Renewal of factory license under the provisions of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948)	45 days	Additional Director-cum-Additional Chief Inspector of Factories Haryana	Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories Haryana	Additional Chief Secretary Labour and Employment
	(vii) Renewal of registration certification under the provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958)	15 days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner”.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 23-2016/Ext.]CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016 (MAGHA 26, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 7 मई, 2015 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं, दिए गए समय जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	ड्यूटी पटवारी-1	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		(ii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से कम है)	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट

		(iii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से कम है)	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
		(iv) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
2.	राजस्व	भूमि का सीमांकन यदि खड़ी फसल नहीं खड़ी तो	45 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
3.	राजस्व	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, जी.पी.ए. भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
4.	राजस्व	सभी प्रकार के पूर्व रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां	7 दिन	उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
5.	राजस्व	अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
6.	राजस्व	भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7.	राजस्व	आय प्रमाण-पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8.	राजस्व	क्षेत्र/उत्तराधिकार/ आश्रित प्रमाण-पत्र/ प्रतिहस्ताक्षर इत्यादि	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9.	राजस्व	रहन प्रथम प्रभार (मोटगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

10.	राजस्व	हस्तातरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
11.	राजस्व	पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में रूपांतरण	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
12.	राजस्व	अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
13.	राजस्व	पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
14.	राजस्व	अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
15.	राजस्व	विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
16.	राजस्व	टपरीवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
17.	राजस्व	विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
18.	राजस्व	आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
19.	राजस्व	आवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
20..	राजस्व	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
21.	खाद्य एवं औषध प्रशासन	औषध निर्माण अनुज्ञा का नवीनीकरण	45 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
22.	खाद्य एवं औषध प्रशासन	बल्क दवाओं/योगों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना	15 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
23.	स्वास्थ्य	जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां—ग्रामीण क्षेत्र (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षों के लिए	14 दिन 30 दिन	जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सम्बद्ध जिले के उप सिविल सर्जन(जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु—सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

24	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण (घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिनों)	सम्बद्ध रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	
25.	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय / अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	
26.	स्वास्थ्य	पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुद्धिकरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय / यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	
27.	स्वास्थ्य / शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ- नगर निगम शहर चालू वर्ष के लिए	14 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	
		पहले से ही पंजीकृत	30 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	
		(ii) जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ-नगर कस्बों चालू वर्ष के लिए	7 दिन				
		पहले से ही पंजीकृत	15 दिन				
28.	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कनेक्शन (केवल नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन	सम्बद्ध नगर निगम में सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
29.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, सम्बद्ध नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी / उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध जिला का उपायुक्त	
30.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी / उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त	
31	शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञप्ति का नवीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी / उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त	

32.	शहरी स्थानीय निकाय	गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, सम्बद्ध नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
33.	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाईट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्बद्ध उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
34.	शहरी स्थानीय निकाय	वाटर लिकेज/सिवरेज ब्लाक/ओवर फ्लो (नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुडगांव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता /कार्यकारी अभियन्ता
35.	शहरी स्थानीय निकाय	(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद/समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
		(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

		(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
		(iv) नगर पालिका गुड़गांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुड़गांव / फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुड़गांव / फरीदाबाद	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
		(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुड़गांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर निगमों/परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीयनिकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
36.	शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
37.	शहरी स्थानीय निकाय	अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त
38	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) जारी करना:- (क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के होटल (ए-5)	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

		<p>(ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के शैक्षिक भवन (बी)</p> <p>(ग) संस्थागत भवन (सी)</p> <p>प) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1) पप) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल</p> <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-ट)</p> <p>(ड) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मर्कटाइल और व्यापार भवन (इ, एफ-1 एण्ड एफ-2)</p> <p>(च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (साधारण खतरनाक (जी-2)</p> <p>(iii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ) ऊंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
39	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	नगर निगम के मामले में अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग जबकि नगर परिषद द्वारा समितियों के मामले में

	<p>(i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु ऊंचाई में 35 मीटर से अधिक की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस)(ए-4)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम ऊंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम ऊंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)</p> <p>(ग)संस्थागत भवन (सी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल(सी-2)</p> <p>(परीक्षक) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल (सी-3)</p> <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ड.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मर्केटाईल और व्यापार भवन (ई, एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च)औधोगिक भवन(जी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के कम खतरनाक (जी-1)</p>				निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।
--	---	--	--	--	----------------------------

		<p>औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के साधारण खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) औद्योगिक भण्डारण भवन(एच) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के प्लॉट सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के भण्डारण भवन ।</p>				
40.	शहरी स्थानीय निकाय	<p>क्रम संख्या 38 तथा 39 में न आने वाले भवनों के मामले के राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना ।</p>	60 दिन	अग्नि अधिकारी मुख्यालय	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग ।
41.	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्निशमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) (i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1);</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एसओडीओ (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

		<p>(ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परिक्षक)(सी-2) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल(सी 3)</p> <p>घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी 1 से डी 5), ड 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मरकाटाईल एवं व्यापार भवन (इ, एफ-1 एवं एफ-2)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (साधारण खतरनाक) (जी-2)</p> <p>(iii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ) ऊंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
42.	शहरी स्थानीय निकाय	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p> <p>(i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु ऊंचाई में 35 मीटर से अधिक नहीं की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस) (ए-4)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम ऊंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000 वर्ग मीटर से</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, भाहरी विकास विभाग। नगर समिति तथा परिषद के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।

		<p>अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम ऊंचाई के शैक्षणिक भवन (बी)</p> <p>(ग) संस्थागत भवन (सी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम ऊंचाई कसटोडियल (सी-2) और पैनल एवं पैलेन्टल (सी-3)</p> <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ड.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के मार्केटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2)</p> <p>(iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3)</p> <p>(छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के भण्डारण भवन (एच)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

43.	शहरी स्थानीय निकाय	41 तथा 42 में न आने वाले भवनों के मामलों में राष्ट्रीय भवन को नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास
44	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक / अधियोगी का परिवर्तन / मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव / ई.ओ. / सम्बद्ध नगर समिति / परिषद / निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
45	शहरी स्थानीय निकाय	सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक / अधियोगी का परिवर्तन / मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव / ई.ओ. / सम्बद्ध नगर समिति / परिषद / निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में सम्बन्धित निगम का आयुक्त
46						
47						
48.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनेक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
49.	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग	(i) वाटर रिसाव / पाईप से ओवरफलो	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(ii) सीवरेज में रूकावट / मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(iii) जलापूर्ति सुचारु करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता

		(iv) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी/ एच टी लाईनों में बाधा	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
		(v) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएँ जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/ मुरम्मत की जानी है।	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
50.	विद्युत	नार्मल फ्यूज ऑफ कॉल शहरों तथा कस्बों में	4 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	सम्बद्ध लाईनमैन/ शिकायत केन्द्र में शिफ्ट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
51.	विद्युत	ओवरहेड लाईन ब्रेकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
52.	विद्युत	ब्रेकेज पोलस के कारण ओवरहेड लाईन ब्रेकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
53.	विद्युत	अन्डरग्रान्ड कैबेल्स ब्रेकडाऊन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
54.	विद्युत	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फैलियुर शहरों तथा कस्बों में	24 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
55.	विद्युत	मैजर पॉवर फैलियुर इन्वाल्विंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर/ इक्युपमैन्ट प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	7 दिन 24 घंटों	एक्स0ई0एन0 / कन्सट्रक्शन	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी0ई0 (ओ0पी0)
56.	विद्युत	भौडयूल्ड आऊटैज की अवधि	किसी दिन में आठ घंटे से	कनिष्ठ अभियन्ता (इंचार्ज)	एस0डी0 ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)

		(क) सिंगल स्ट्रैच में अधिकतम अवधि	अधिक नहीं			
		(ख) रेस्टोरेशन सप्लाई	किसी भी दिन सांय 6 बजे तक	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
57.	विद्युत	नेटवर्क इनवोल्वड के बिना विस्तार/ इन्हानसमेंट के साथ वोल्टेज फलकचूयेशन नगर तथा कस्बे	4 घण्टे	कनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		ग्रामीण क्षेत्र-मीटर टैसटिंग	8 घण्टे	कनिष्ठ अभियन्ता (ईन्चार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
58.	विद्युत	मीटर शिकायतें (i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना - मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद (ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिंग/स्टक/डिफेक्टिव मीटर का बदलना (iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है। (iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना - उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के बाद	7 दिन चैकिंग पर इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के भीतर 7 दिन 24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
59.	विद्युत	नये कनेक्शन/ अतिरिक्त लोड/ मांग देना (a) कनेक्शन देना जहां सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से व्यवहार्य है	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(b) कनेक्शन देना जहां नेटवर्क एक्सपैंशन/इन्हानसमेंट कनेक्शन देने के लिए अपेक्षित है (सिवाय कृषि) (i) एल0टी0कनेक्शन के लिए	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(ii) 11 के0वी0 कनेक्शन के लिए	71 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(iii) 33 के0वी0 कनेक्शन के लिए	90 दिन के भीतर	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)
		(iv) 33 के0वी0 स्तर कनेक्शन से अधिक	90 दिन	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)	सी.ई.(ओ.पी.)

60.	विद्युत	शीर्ष का हस्तांतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण				
		(क) शीर्ष का हस्तांतरण तथा प्रवर्गों का परिवर्तन	7 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)
		(ख)एल0टी0एकल फेज से एल0टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथि से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(ग)एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथि से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
		(घ)एच0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथि से	30 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)
61	विद्युत	मीटर/सेवा कनेक्शन और अन्य सेवाओं को बदलना ।				
		(i) मीटर/सेवा कनेक्शन को बदलना	15 दिन	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)
		(ii) 11 के0वी0 तक एल0टी0/एच0टी0 लाईनों को बदलना ।	45 दिन	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)	अधीक्षक अभियंता (आप्रेशन)
		(iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाईनों को बदलना ।	45 दिन	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)	अधीक्षक अभियंता (आप्रेशन)
		(iv) ट्रांसफार्मर को बदलना ।	60 दिन के भीतर ।	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)		अधीक्षक अभियंता (आप्रेशन)
62.	विद्युत	उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना । यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है ।	24 घंटे	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)
		यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।	7 दिन	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल अधिकारी (आप्रेशन)	कार्यकारी अभियंता (आप्रेशन)
63.	विद्युत	बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना ।				

		शहरों और नगरों – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	6 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
		ग्रामीण क्षेत्र – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	12 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
64	परिवहन	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना	5 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0 ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) चालन लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठकन	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
65	परिवहन	कन्डक्टर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
66	परिवहन	(i) नये वाहनो का पंजीकरण।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

		(ii) स्वामित्व का अंतरण।	37 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iii) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(iv) डुप्लीकेट आर0 सी0 जारी करना।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(v) कर समाशोधन प्रमाण पत्र।	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
		(vi) एच0पी0ए0 परिवर्धन / विलोपन	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
67	आवासन बोर्ड	अनापत्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आवटन / पुनः आवटन पत्र जारी करना।	21 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
68	आवासन बोर्ड	(i) हस्तांतरण पत्र जारी करना। (ii) साधारण मुख्तारनामा के माध्यम से हस्तांतरण पत्र जारी करना।	15 दिन 45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव, आवासन बोर्ड, हरियाणा
69.	आवासन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
70.	आवासन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का अंतरण	15 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
71	आवासन बोर्ड	मृत्यु के मामलों में सम्पत्ति का अंतरण (अविवादित)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबंधक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा

72.	आवासन बोर्ड	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
73.	आवासन बोर्ड	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	7 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
74.	आवासन बोर्ड	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु मामले से अन्यथा)	45 दिन	सम्बद्ध जिले का सम्पदा प्रबन्धक	आवासन बोर्ड हरियाणा का मुख्य राजस्व अधिकारी	सचिव आवासन बोर्ड, हरियाणा
75.	आवासन बोर्ड	प्लॉट का सीमांकन	21 दिन	उपमण्डल अभियंता	कार्यकारी अभियंता	मुख्य अभियंता
76.						
77.						
78.	कृषि	बीज विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
79.	कृषि	कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
80.	कृषि	पावती रसीद/उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
81.	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
82.	कृषि	पावती रसीद/उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
83.	कृषि	बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
84.	कृषि	कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
85.	कृषि	पावती रसीद/उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
86.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापन्ति प्रमाण पत्र /डुप्लीकेट आंबटन जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
87.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
88.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
89.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
90.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	विक्रय के मामलों में सम्पत्ति का पुनः अंतरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जैड0एम0ई0ओ0
91.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	किसानों को जे0 फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	डी0एम0ई0ओ0	डी0एम0ई0ओ0

92.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद चोट के केसों में	30 दिन, 60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
93	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
94.	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-1 की पावती जारी करना	3 दिन	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
95	उद्योग एवं वाणिज्य	एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन-1A की पावती जारी करना	3 दिन	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
96.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
97.	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
98	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
99	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
100	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनन्तिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
101	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
102	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाइ तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

103	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के अधीन संसाधन के लिए नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
104	उद्योग एवं वाणिज्य	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
105	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
106	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
107	उद्योग एवं वाणिज्य	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
108	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटीयों का पंजीकरण	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
109	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटीयों के नाम का अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
110	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन शासकीय निकाय का अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
111	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी के नाम/पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
112	उद्योग एवं वाणिज्य	हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के अनुमोदन	60 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी

113	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (ओद्योगिक / आवासीय)	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
114	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवन योजना / पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (वाणिज्यिक)	30 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
115	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	भवनो के लिये समापन / अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार / वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
116	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	अनापत्ति प्रमाण पत्र / डुपलीकेट आबंटन / पुनः आबंटन पत्र जारी करना	20 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
117	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	हस्तांतरण विलेख	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
118	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	बेबाकी प्रमाण पत्र	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
119	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	विक्रय आदि के मामले में प्लॉटों का अंतरण	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
120	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्लॉटों का स्थानान्तरण (अनकान्टेसिटेड)	45 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
121	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	गिरवी जारी करने के लिए अनुमति	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
122	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	3 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
123	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा	स्वामित्व परिवर्तन (मृत्यु मामलों से अन्यथा)	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक

129	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन का नक्शा / भवन के संशोधित नक्शों की स्वीकृति	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
130	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन के लिए सम्पूर्ण अधिपत्य प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
131	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (तबादला अनुमति / दूसरा आबंटन पत्र / पुनः आबंटन पत्र)	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
132	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	हस्तांतरण विलेख जारी करना	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
133	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
134	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	विक्रय के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
135	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	मृत्यु (अविवादित) के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
136	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
137	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
138	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु के मामले से अन्यथा)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
139	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	प्लॉटों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
140	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	कुरसी (डी पी सी) प्रमाण पत्र जारी करना	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
141	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
142	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जल आपूर्ति तथा मल जल कनेक्शन की स्वीकृति (औद्योगिक)	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुडडा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
143	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	गिरवी प्रथम प्रवाह (औद्योगिक)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा, मुख्यालय
144	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	नियंत्रित क्षेत्र तथा समरूप जोन (सरकार की सक्षता के सिवाए) के अंतिम प्रकाशित विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों में	60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अपर सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना

		स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुज्ञा का परिवर्तन				
145	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
146	नगर तथा ग्राम आयोजना	नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
147	नगर तथा ग्राम आयोजना	(i) पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईट भट्टों, व लकड़ी का कोयला भट्टों, के लिए लाइसेंस	30 दिन	जिला नगर योजनाकार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
		(ii) पंजाब अनुसूचित सड़क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन क्रेशर, के लिए लाइसेंस	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
148	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- (1) लाइसेंस आवासीय प्लॉट कालोनियां (2) औद्योगिक प्लॉट कालोनियां (3) सी एल यू गारंटड साइट जिनका क्षेत्रफल 2.0 एकड़ (8093.70 वर्ग मी0) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
149	नगर तथा ग्राम आयोजना	निम्न साइट/प्लॉट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- (1) लाइसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साइटें जिनका क्षेत्र 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। (2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। (3) आवासीय प्लॉट एवं औद्योगिक प्लॉट कालोनियों में वाणिज्यिक धटक जिनका क्षेत्रफल 2	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना

		एकड़ है। (4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं				
150.	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) क्रम संख्या 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
151	नगर तथा ग्राम आयोजना	क्रम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
152	नगर तथा ग्राम आयोजना	क्रम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लॉट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
153	नगर तथा ग्राम आयोजना	(क) क्रम संख्या 150 एवं 151 पर वर्णित मामलों को छोड़कर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना। (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटें जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।	90 दिन 60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना	
154	नगर तथा ग्राम आयोजना	हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण—उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप/संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
155	गृह	क) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण (यदि लाइसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाइसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मांगी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव)	जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	— —

				तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त जिला मैजीस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	— —
		ख) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छह वर्ष की प्रत्येक साईकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक हैं	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजीस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
156	गृह	हथियार का जमा करना/काटना (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेंवाएं मांगी गई हैं)— आव यक नोटिस के समाप्त होने के 45 दिन	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
157	गृह	हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञप्ति जारी करने का जिला वही	7 दिन	जिला मैजीस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव	मंडलायुक्त	—

		हे जहां सेवाएं मांगी गई हैं और समय की अनुमति के दौरान)		तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला भाहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
158	गृह	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले सहायक पुलिस आयुक्त / मुख्यालय गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
159	गृह	विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला / शहरी क्षेत्र पंचकूला / अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय,	पुलिस आयुक्त उप पुलिस आयुक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज

				अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए		
160	गृह	एफ.आई. आर अथवा डी. डी.आर की प्रति	शीघ्र / आनलाईन	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
161.	गृह	लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण पत्र (अनुमति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र अथवा मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में केवल लागू)	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय सहायक / पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय / पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)	जिला मैजिस्ट्रेट / उपायुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
162	गृह	फेयर / मेला / प्रदर्शनी / खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) सहायक / उपायुक्त / मुख्यालय / अम्बाला तथा पंचकूला जिला संयुक्त / सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव (मुख्यालय)	उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
163	गृह	अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले / राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
164	गृह	किरायेदार / नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त

165	गृह	किरायेदार/नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला/राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले/राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
165	गृह	सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन	30 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
167	गृह	सड़क दुर्घटना मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
168	गृह	चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनट्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
169.	गृह	चोरी के मामलों में अनट्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
170.	गृह	पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
171.	गृह	सेवा सत्यापन (हरियाणा निवासी के मामलों में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
172	गृह	चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त
173	गृह	हथियार लाईसेंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले) उपमण्डल मैजिस्ट्रेट/न्यायधीश (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
174	गृह	हथियार व्यवहारियों के लाईसेंस को जारी करने/नवीकरण के लिए अनापत्ति	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले)	पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त

				उप पुलिस उपायुक्त (अम्बाला तथा पंचकुला) जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त मण्डलायुक्त	मण्डलायुक्त -----
175	गृह	पैट्रोल पंप, सिनेमा हाल इत्यादि स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	मण्डलायुक्त	-----
				पुलिस आयुक्त (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों)	मण्डलायुक्त	—
176	गृह	पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त
177	गृह	नये हथियार लाईसेंस के लिए सत्यापन	30 दिन	उपायुक्त (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस आयुक्त (पंचकूला) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मण्डलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मण्डलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
178	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
179	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बुढ़ापा सम्मान भत्ता (पेंशन स्कीम)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त

180	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग पेंशन	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
181	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
182	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
183	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
184	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वित्तीय सहायता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
185	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	बौना भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
186	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	हिजड़ा भत्ता योजना	120 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त	सबन्ध जिले का उपायुक्त
187	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फ़ैलोशिप फार्म	4 मास	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव/ई0 सी0 एच एस सी एस टी	अध्यक्ष/ई सी एच एस सी एस टी
188	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी.एस.सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति - समापन के बाद	4 महीने	विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)	निदेशक
189	श्रम विभाग	(1)1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(2)कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(3)कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
		(4)दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकार का पंजीकरण	15दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त

190.	वन विभाग	पेड़ों की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
191.	वन विभाग	पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
192.	बागवानी विभाग	हारनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ.(एन.एच.एम.)	संयुक्त निदेशक	मिशन निदेशक
193.	बागवानी विभाग	मिट-पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
194.	बागवानी विभाग	फूट लाईसेंस- फलदार पौधों की नर्सरी हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नर्सरी) उ.नि.उ (पी.एन.)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
195.	बागवानी विभाग	पॉलीनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (फल) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
196.	बागवानी विभाग	सीड लाईसेंस- सब्जी बीज की बिक्री हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
197.	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ:- (i) मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव (ii) योजना और तालाब का अनुमान (iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। (iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
198.		जलमग्न भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ (i) मछली तालाब हेतु भूमि का चुनाव (ii) योजना और तालाब का अनुमान (iii) ऋण हेतु बैंको को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। (iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।

199		मत्स्य पालकों को राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाएँ—मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/मार्च/जुलाई/अगस्त/सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
-----	--	---	-------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 15th February, 2016

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR dated the 7th May, 2015, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Commission hereby notifies the following Services, the time limit within which these are to be provided to citizens, and the Designated Officer, First Grievances Redressal Authority and Second Redressal Authority under the Act as per the schedule given below:-

Schedule

Sr. No.	Name of the Department	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	Revenue	(i) Certified copies of all documents at Fard Centre level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, Mutation, etc.	1 day	Duty Patwari 1	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division.
		(ii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is less than 5)	2 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division
		(iii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 5 but less than 15)	3 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division.
		(iv) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 15)	7 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division

2.	Revenue	Demarcation of Land if no standing crop.	45 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the concerned District.
3.	Revenue	Registration of all kinds of documents i.e. sale deed. Lease deed, GPA, Partnership Deed etc.	1 day	Sub-Registrar or Joint Sub Registrar (in case of Sub Tehsils)	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
4.	Revenue	Certified Copies of all kinds of previously registered documents	7 days	Sub-Registrar or Joint Sub Registrar (in case of Sub Tehsils)	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
5.	Revenue	Attestation of uncontested mutations	30 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
6.	Revenue	Private Partition of Land (Mutual Consent of landowners)	60 days	Circle Revenue Officer	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
7.	Revenue	Issue of Income Certificate	15 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
8.	Revenue	Area/Succession/ Dependent Certificate/ Counter Signature etc.	15 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
9.	Revenue	Mortgage 1st Charge	15 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
10.	Revenue	Registration of Lease Deed/Conveyance Deed	1 day	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
11.	Revenue	Conversion from lease to Free Hold	30 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
12.	Revenue	Scheduled Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
13.	Revenue	Backward Class Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
14.	Revenue	Other Backward Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
15.	Revenue	Special Backward Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District

16.	Revenue	Tapriwas Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
17.	Revenue	Vimukt Jati Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
18.	Revenue	Economically Backward General Caste Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
19.	Revenue	Resident Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
20.	Revenue	Rural Area Certificate	7 days	Tehsildar of the concerned Sub-Division	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District
21.	Food and Drugs Administration	Grant/renewal drugs Manufacturing License	45 days	State Drugs Controller	Commissioner Food and Drugs Administration	Addl. Chief Secretary, Health
22.	Food and Drugs Administration	Issue of License for Manufacturing Bulk Drugs/ formulations	15 days	State Drug Controller	Commissioner Food and Drugs Administration	Addl. Chief Secretary, Health
23.	Health	Certified Copies of Birth/Death Certificate – Rural Areas(already registered) For current year For previous year	14 days 30 days	Registrar (Birth & Death) of concerned PHC and CHC/ Deputy Civil Surgeon (Birth & Death of the Concerned District).	District Registrar Births & Deaths-cum-Civil Surgeon of the concerned District.	Deputy Commissioner of the Concerned District
24.	Health/Urban Local Bodies	Registration of Death & Birth Certificate (After one year of event) after submission of complete application.	60 days (20 days each for Registrar, District Registrar, and Sub-Division Magistrate (SDM).	Concerned Registrar/District Registrar	Sub-Divisional Magistrate/ Additional Deputy Commissioner (General)	Deputy Commissioner of the concerned District
25.	Health /Urban Local Bodies	Birth and Death Certificate (Name Entry & certified copies of New Birth Certificate)	30 days	Concerned Local/ Addl. District Registrar-cum Deputy Civil Surgeon as applicable	District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Civil Surgeon of the concerned District.	Deputy Commissioner of the concerned District
26.	Health	Correction of entry in Birth and Death Certificate after submission of complete application	30 Days	Concerned Local/ District Registrar as applicable	District Registrar (Birth & Deaths of the concerned District.	Deputy Commissioner of the concerned District
27.	Urban Local Bodies	(i) Certified Copies of already registered Birth/Death Certificates – Corporation Cities For current year For previous years	14 days 30 days	Local Registrar (Birth & Death) of the Concerned Municipal Corporation	Executive Officer of the Concerned Municipal Corporation	Deputy Commissioner of the Concerned District
		(ii) Certified Copies of already registered Birth/Death Certificates – MC Town For current year For previous years	7 days 15 days	Local Registrar (Birth & Death) of the Concerned Municipal Committees	SDM of the concerned Sub-Division	Deputy Commissioner of the Concerned District

28.	Urban Local Bodies	Water Supply & Sewerage Connection (Applicable in Municipal Corporation, Gurgaon & Faridabad only)	7 days	Assistant Engineer in Concerned Municipal Corporation	Executive Engineer in concerned Municipal Corporation	Superintending Engineer/Chief Engineer in concerned Municipal Corporation
29.	Urban Local Bodies	Issue of conveyance deed in Municipal Corporation, Municipal Councils and Municipal Committees	15 days	Zonal Taxation Officer in Municipal Corporation Executive Officer in concerned Municipal Council and Secretary in concerned Municipal Committees	Executive Officer/Deputy Municipal Commissioner in Municipal Corporation, Sub Divisional Magistrate of concerned Sub Division in case of Councils and Committees	Joint Commissioner in case of Corporation, Deputy Commissioner of Concerned District of case of Councils and Committees
30.	Urban Local Bodies	Issue of new trade license by Municipal Corporation	15 days	Zonal Taxation Officer in Municipal Corporation	Executive Officer/Deputy Municipal Commissioner in Municipal Corporation.	Joint Commissioner in case of Corporation.
31.	Urban Local Bodies	Renewal of trade license by municipal corporations	12 days	Zonal Taxation Officer in Municipal Corporation	Executive Officer/Deputy Municipal Commissioner in Municipal Corporation	Joint Commissioner in case of Corporation
32.	Urban Local Bodies	Removal of solid waste from streets/Roads	2 days	Chief Sanitary Inspector in Municipal Corporation Chief Sanitary Inspector in concerned Municipal Council and Sanitary Inspector in concerned Municipal Committee	Executive Officer/Deputy Municipal Commissioner in case of Corporation Cities, Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in case of Municipal committee	Joint Commissioner in case Corporation city, Sub Division Officer of Concerned Sub Division in case of Municipal Towns
33.	Urban Local Bodies	Replacement of street lights	10 days	Assistant Engineer in Corporation Cities, Junior Engineer in concerned Municipal Council and Committees	Executive Engineer in case of Corporation Cities, Municipal Engineer in concerned Municipal Councils and Committees	Superintending Engineer/ Chief Engineer in case of Corporation City, Sub Division Officer of concerned sub division in concerned Municipal Councils and Committee
34.	Urban Local Bodies	Water leakages/ sewerage blocked/over flow (In case of Municipal Corporation, Gurgaon and Faridabad)	2 days	Assistant Engineer in Corporation Cities in Municipal Corporation Faridabad or Gurgaon concerned	Executive Engineer in case of Municipal Corporation Faridabad and Gurgaon	Superintending Engineer/ Chief Engineer in case of Municipal Corporation Faridabad and Gurgaon

35.	Urban Local Bodies	(i) Sanction of building plans in the original municipal limits for all uses and sizes except commercial/institutional uses for the sites 1000 sq.mtrs and above.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies.	Sub Divisional Magistrate of concerned Sub Division in case of Municipal Councils/ Committee and Commissioner, Municipal Corporation concerned in case of Municipal Corporation	The Deputy Commissioner of concerned District in case of Municipal Council/ Committee and Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies in case of Municipal Corporation
		(ii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/institutional uses for the sites 1000 sq. mtrs. to 5000 sq. mtrs.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
		(iii) Sanction of building plans in the original municipal limits for commercial/institutional uses for the sites 5000 sq. mtrs. and above.	60 days	Chief Town Planner/ Urban Local Bodies	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
		(iv) Approval of building plans (up to 5 acres) of permission for change of land use cases in MC Gurgaon and Faridabad.	60 days	Chief Town Planner, Municipal Corporation Gurgaon/ Faridabad	Commissioner Municipal Corporation Gurgaon/ Faridabad	Principal Secretary to Govt. Haryana,
		(v) Approval of building plans of permission for change of land use cases in Gurgaon & Faridabad for the site more than 5 acres, and in other municipal corporations/ councils/ committee	60 days	Chief Town Planner Urban Local Bodies Department	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Govt. Haryana
36.	Urban Local Bodies	Change of land use permission for the sites situated within various controlled areas falling with the municipal limits	60 days	Chief Town Planner, Urban Local Bodies Department	Director, Urban Local Bodies Department	Principal Secretary to Government Haryana
37.	Urban Local Bodies	Renewal of Fire NOC	15 days	Fire Station Officer	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation
38.	Urban Local Bodies	Issuance of Fire NOC in case of Bridling as per nomenclature of National Building code in case of a) Hostel (A-5) less than 15 meters in height having plot area up to 4000sq. mtr. b) Education Building (B) Less	60 days	Fire Station Officer	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of

		<p>than 15 meters in height having plot area up to 8000 square meters.</p> <p>C) Institutional Building (C).</p> <p>i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>d) Assembly Buildings (D-1 to D-5) Less than 10 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 &F-2) Less than 15 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>F) Industrial Buildings (G).</p> <p>i) Low Hazard (G-1) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>iii) High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height and plot area up to 4000 square meters.</p>			corporation in case of Municipal Corporation.	the concerned corporation in the case municipal Corporation.
39	Urban Local Bodies	<p>Issuance of Fire NOC in case of Buildings as per nomenclature of National Building code in case of</p> <p>a) Residential Buildings (A)</p> <p>(i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height.</p> <p>(ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters.</p> <p>b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters.</p> <p>c) Institutional Buildings (C)</p> <p>i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but but less 8000 square meters.</p> <p>ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters but less 15000 square</p>	60 days	Fire Station Officer	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation	Addl. Chief Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and Committees.

		<p>meters.</p> <p>d) Assembly Buildings (D-1 to D-5) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>F) Industrial Buildings (G).</p> <p>i) Low Hazard (G-1) less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>iii) High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less than 8000 square meters.</p>				
40	Urban Local Bodies	Issuance of Fire NOC in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of buildings not covered at Sr. No. 38 & 39	60 days	Fire Station Officer	Director Urban Local Bodies	Addl. Chief Secretary Urban Development Department.
41	Urban Local Bodies	<p>Approval and renewal of fire fighting scheme in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of</p> <p>(a) Hostel (A-5) less than 15 meters in height having plot area up to 4000 square meters.</p> <p>b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters.</p> <p>c) Industrial Buildings (C).</p> <p>i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters.</p> <p>ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>d) Assembly Buildings (D-1 to D-5) Less than 10 meters in height with plot area up to 4000 square meters.</p> <p>e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with plot area up to 4000 square</p>	60 days	Fire Station Officer	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation.

		<p>meters.</p> <p>F) Industrial Buildings (G).</p> <p>i) Low Hazard (G-1) less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>iii) High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height but plot area up to 4000 square meters.</p> <p>g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height and plot area up to 4000 square meters.</p>				
42	Urban Local Bodies	<p>Approval and renewal of fire fighting scheme in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of</p> <p>a) Residential Buildings (A)</p> <p>(i) Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4) 15 meters and above but not exceeding 35 meters in height.</p> <p>(ii) Hostel (A-5) height less than 15 meters having plot area more than 4000sq. meters but less 8000 square meters.</p> <p>b) Education Building (B) height less than 15 meters in height having plot area more than 8000 square meters but less 16000 square meters.</p> <p>c) Institutional Buildings (C)</p> <p>i) Hospital, Sanatoria and Nursing homes (C-1) less than 15 meters in height but plot area above 4000 square meters but but less 8000 square meters.</p> <p>ii) Custodial (C-2) and Penal and Plental (C-3) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters but less 15000 square meters.</p> <p>d) Assembly Buildings (D-1 to D-5) Less than 10 meters in height with plot area more than 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>e) Mercantile & Business Buildings (E,F-1 & F-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>f) Industrial Buildings (G).</p> <p>i) Low Hazard (G-1) less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>ii) Moderate Hazard (G-2) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square</p>	60 days	Fire Station Officer	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation	Addl. Chief Secretary Urban Development Department in case of Municipal Corporation whereas Director, Urban Local Bodies in case of Municipal Councils and Committees.

		<p>meters.</p> <p>iii) High Hazard (G-3) Less than 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less 8000 square meters.</p> <p>g) Storage Buildings (H) Below 15 meters in height with plot area above 4000 square meters but less than 8000 square meters.</p>				
43	Urban Local Bodies	Approval and renewal of fire fighting scheme in case of Building as per nomenclature of National Building code in case of not covered at sr. no. 41 & 42.	60 days	Fire Station Officer	Director, Urban Local Bodies	Addl. Chief Secretary Urban Development
44	Urban Local Bodies	Change of owner/occupier in Property Tax Register (Except in death case)	15 days	Secretary/E.O./ Zonal Taxation Officer in concerned Municipal Committee/ Council/ Corporation	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation.
45	Urban Local Bodies	Change of owner/occupier in Property Tax Register in death case	45 days	Secretary/E.O./ Zonal Taxation Officer in concerned Municipal Committee/ Council/ Corporation	S.D.O. (C) of the concerned Sub Division in case of Municipal Committee and Council, Joint Commissioner of the concerned corporation in case of Municipal Corporation.	Deputy Commissioner of Concerned District in case of Municipal Committee and Council, Commissioner of the concerned corporation in the case municipal Corporation.
46						
47						
48	Public Health Engg.	(i) Sanction of water supply connection in the Rural and Urban areas.	12 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(ii) Sanction of sewerage connection in Cities and MC Towns	12 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
49	Public Health Engg.	(i) Water Leakage/ Over Flow pipes	3 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(ii) Sewerage/ Blocked/ Over flow of Manholes.	7 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED

		(iii). Restoration of Water Supply due to minor problems i.e. fault in pumping machinery, electric wiring, distribution systems etc.	3 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(iv). Restoration of Water Supply due to major problems i.e. shortage of raw water, burning of transformer and fault in LT/HT lines etc.	6 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
		(v). Restoration of Water Supply due to major problems i.e. burning of transformer, other major electric fault etc. to rectified/repared by PHED.	10 days	Concerned SDE of PHED	Concerned EE of PHED	Concerned SE of PHED
50	Power	Normal fuse off call				
		In cities and town	4 hours	Concerned Lineman/ Complaint center in charge of the shift	JE [In charge]	SDO[OP]
		In rural area	16 hours	Concerned Lineman/ Complaint center in charge of the shift	JE [In charge]	SDO[OP]
51	Power	Overhead line breakdowns In Cities and Town	8 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural area	16 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
52	Power	Overhead line breakdowns due to breakage of poles. In Cities and Towns	12 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area-	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
53	Power	Underground cables breakdown In Cities & towns	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
54	Power	Distribution Transformer failure In Cities and Towns	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area	48 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
55	Power	Major Power failure involving power transformer/equipment	7 days	XEN/ Construction	SE[OP]	CE[OP]
		Alternate arrangement to restore the supply in the affected area	24 hours			

56	Power	Period of Schedule outage	Not to exceed 8 hours in any day	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		a) Maximum duration in a single stretch				
		b) Restoration of supply	By 6 PM on any day	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
57	Power	Voltage Fluctuation with no expansion/ enhancement of network involved		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Cities and Towns	4 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		In Rural Area-	8 hours			
58	Power	Meter Complaints		JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(i) Inspect and check correctness after receipt of meter testing fee	7 days			
		(ii) Replace slow/ fast meters/ Creeping/ stuck/ defective	Within 7 days of its being established on checking	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(iii) Replace burnt meters if cause not attributable to consumer.	7 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		(iv) Replace burnt meters in all other cases after payment of charges	24 hours	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
59	Power	Release of new connection/ additional load/ demand	30 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		[a] Release of connection where service is feasible from existing network	30 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		[b] Release of connection where network expansion/enhancement required for providing connection[Except Agricultural]		SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		(i) For LT Connections	30 days			
		(ii) For 11 KV Connections	71 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		(iii) For 33 KV Connections	90 days	XEN [OP]	SE [OP]	CE [OP]
		(iv) Above 33 KV level connections	90 days	XEN [OP]	SE [OP]	CE [OP]
60	Power	Transfer of title and conversion of services				
		a) Transfer of title and /or change of category	7 days	SDO [OP]	XEN [OP]	SE [OP]
		b) Conversion of LT single phase to LT three phase or vice-versa- from the date of payment charges	30 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		c) Conversion of LT to HT or vice-versa- after payment of charges	30 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]
		d) Conversion of HT to EHT or vice-versa -after payment of charges	30 days	JE [In charge]	SDO[OP]	XEN[OP]

61	Power	Shifting of meter/service connection and other services				
		(i) Shifting of meter/ service connection	15 days	JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
		(ii) Shifting of LT/HT lines up to 11 KV	45 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iii) Shifting of HT Line exceeding 11KV	45 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iv) Shifting of Transformer	60 days	SDO (Operations)	XEN (OP)	SE (OP)
62	Power	Complaint about consumer bills and restoration of supply Resolution of complaints on disputed electricity bills. If no additional information is required	24 hours	Commercial Assistant (CA)	SDO (OP)	XEN (OP)
		If additional information is required	7 days	Commercial Assistant (CA)	SDO (OP)	XEN (OP)
63	Power	Reconnection of supply following disconnection due to non-payment of bills- Cities and Towns –after receipt of payment from consumer	6 hours	JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
		Rural area -after receipt of payment from consumer	12 hours	JE [In charge]	SDO (OP)	XEN (OP)
64	Transport	(i) Issuance of Learner Driving License (Sarathi Related Services)	5 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(ii) Issuance of Permanent Driving License (Sarathi Related Services)	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(iii) Renewal of Driving License	37 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(iv) Issuance of Duplicate driving license	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(v) Endorsement of new class in Driving License	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
65	Transport	Issuance of Conductor License	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
66	Transport	(i) Registration of New Vehicles (VAHAN)	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(ii) Transfer of ownership	37 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District

		(iii) Issuance of NOC	7 Days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(iv) Issuance of duplicate RC	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(v) Tax Clearance Certificate	7 Days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
		(vi) HPA Addition/Deletion	7 days	SDO(C)-cum-RA/RTA of concerned authority	ADC of concerned District	DC of Concerned District
67	Housing Board	Issue of No Objection Certificate/Duplicate Allotment/Re- allotment Letter	21 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
68	Housing Board	(i) Issue of Conveyance Deed	15 days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
		(ii) Issue of Conveyance Deed through GPA	45 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
69	Housing Board	Issue of No Due Certificate	30 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
70	Housing Board	Transfer of property in case of sale	15 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
71	Housing Board	Transfer of property in case of death (uncontested)	45 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
72	Housing Board	Issue of permission for mortgage	7 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
73	Housing Board	Attested copy of any document	7 Days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
74	Housing Board	Change of Ownership (other than Death Cases)	45 days	Estate Manager of Concerned District	Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
75	Housing Board	Demarcation of Plot	21 days	Sub Divisional Engineer	Executive Engineer	Chief Engineer
76						
77						
78	Agriculture	Licence of Seeds	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
79	Agriculture	Licence of pesticides	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
80	Agriculture	Acknowledgement of Receipt/authorization letter of fertilizers	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
81	Agriculture	Renewal of licence of seeds	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
82	Agriculture	Renewal of acknowledgement of Receipt/authorization letter of fertilizers	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
83	Agriculture	Duplicate licence of seeds	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture

84	Agriculture	Duplicate licence of pesticides	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
85	Agriculture	Duplicate acknowledgement of Receipt/authorization letter of fertilizers	24 days	Deputy Director Agriculture	Joint Director (Administration)	Director Agriculture
86	HSAMB	Issue of NOC/ Duplicate Allotment/ Re-allotment	30 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
87	HSAMB	Issue of Conveyance Deed	30 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
88	HSAMB	Issue of No dues Certificate	15 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
89	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale	30 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
90	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale (Uncontested Death)	60 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
91	HSAMB	Issue of J form to the farmers	1 day	Mandi Supervisor or Assistant Secretary	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO
92	HSAMB	Providing financial aid (ex-gratia) to cultivators for any injury or death during farming operations. i) In case of death- after obtaining viscera report ii) In case of injury	30 days 60 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
93	HSAMB	Issue of NOC for Mortgage	15 days	Concerned Secretary-cum-Executive Officer.	DMEO	ZMEO
94	Industries & Commerce	Issuing of Entrepreneurs Memorandum Part-I acknowledgement under MSMED Act, 2006.	3 days	Joint Director/Deputy Director	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
95	Industries & Commerce	Issuing of Entrepreneurs Memorandum Part-II acknowledgement under MSMED Act,2006	3 days	Joint Director/Deputy Director	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
96	Industries & Commerce	Boiler Registration under the Indian Boiler Act, 1923	10 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director Industries	Director Industries & Commerce
97	Industries & Commerce	Renewal of Boiler Registration under the Indian Boiler Act 1923	07 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
98	Industries & Commerce	Approval for modification, alteration, repair of boiler under Indian Boiler Act, 1923	07 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director, Industries	Director Industries & Commerce
99	Industries & Commerce	Provisional License for processing under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
100	Industries & Commerce	Provisional License for Trading under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce

101	Industries & Commerce	License for processing under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation Order, 1987	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
102	Industries & Commerce	License for Trading under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
103	Industries & Commerce	Renewal of License for processing under Lubrication Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Order 1987	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
104	Industries & Commerce	Renewal of License for Trading under Lubrication Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Order, 1987	20 days	Additional Director	Director Industries & Commerce	Principal Secretary, Industries & Commerce
105	Industries & Commerce	Registration of Firms under Indian Partnership Act, 1932.	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
106	Industries & Commerce	Approval for change in partners under Indian Partnership Act, 1932.	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
107	Industries & Commerce	Approval for change of Registered Office under Indian Partnership Act, 1932.	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
108	Industries & Commerce	Registration of Societies under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012	07 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
109	Industries & Commerce	Name Approval of Societies under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
110	Industries & Commerce	Approval of Governing body under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012	15 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
111	Industries & Commerce	Approval for change in name/Registered office of society under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012	07 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
112	Industries & Commerce	Approval for amendments in bye-laws of society under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012	60 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms & Societies	Registrar General, Firms & Societies
113	HSI IDC	Sanction of Building plans/ revised building plans (Industrial/Residential)	15 days	DTP/STP concerned	CTP	MD
114	HSI IDC	Sanction of Building plans/ revised building plans (Commercial)	30 days	DTP/STP concerned	CTP	MD
115	HSI IDC	Issue of completion/ occupation certificate for buildings	15 days	DTP/STP concerned	CTP	MD
116	HSI IDC	Issue of No Objection Certificate/Duplicate Allotment/Re-allotment letter	20 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD

117	HSI IDC	Issue of conveyance deed	15 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
118	HSI IDC	Issue of No due certificate	15 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
119	HSI IDC	Transfer of plots in cases of sale etc.	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
120	HSI IDC	Transfer of plots (uncontested)	45 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
121	HSI IDC	Issue of permission for mortgage	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
122	HSI IDC	Attested copy of any document	3 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
123	HSI IDC	Change of ownership (other than death cases)	30 days	Estate Manager	HOD/ (Estate)	MD
124	HSI IDC	Demarcation of plots	05 days	STP/DTP	CTP	MD
125	HSI IDC	Issue of Plinth level certificate	07 days	DTP/STP	CTP	MD
126	HSI IDC	Water and Sewerage Connection	15 Days	DGM/AGM Industrial. Estate	HOD(Estate)	MD,HSI IDC
127	HSI IDC	Allotment of Land/Shed in IE/IDA	60 Days	DGM/Addl. GM(Industrial Estate)	GM, HSI IDC	MD, HSI IDC
128	Food and Supplies	(i) Issue of New Ration Card on receipt of D-I form i.e. Application Form for all Categories	22 Days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(ii) Issuance of new ration card on receipt of surrender Certificate	15 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(iii) Issuance of duplicate ration card.	15 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(iv) Inclusion/ Deletion of family member	15 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(v) Change of address within same jurisdiction	15 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(vi) Change of address including change of FPS	15 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(vii) Issuance of surrender certificate /Ration Card/Member Migration/ Ration Card Transfer Application/Surrender of Ration Card Application Form	7 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
		(viii) Ration Card Data Correction and Household Head modification	7 days	Inspector Incharge/ AFSSO	District Food & Supplies Controller	Deputy Commissioner
129	HUDA	Sanction of Building Plans/ Revised Building Plans	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
130	HUDA	Issue of Completion/ Occupation Certificates for buildings	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
131	HUDA	Issue of No objection Certificate(Transfer permission)/ duplicate allotment letter/ re-allotment letter	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
132	HUDA	Issue of Conveyance deed	20 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.

133	HUDA	Issue of No due Certificate	10 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
134	HUDA	Transfer of property in case of sale	30 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
135	HUDA	Transfer of property in case of death (Uncontested)	45 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
136	HUDA	Issue of permission for mortgage	07 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
137	HUDA	Attested copy of any documents	05 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
138	HUDA	Change of ownership (other than death cases)	15 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
139	HUDA	Demarcation of plots	05 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
140	HUDA	Issue of Plinth (DPC) Certificate	05 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
141	HUDA	Water Supply and Sewerage Connection	10 days	Concerned Executive Engineer, HUDA/SDE HUDA.	Concerned Superintendent Engineer	Superintendent Engineer Headquarters.
142	HUDA	Sanction of Water supply and Sewage Connection (industrial)	10 days	Concerned Executive Engineer, HUDA/SDE HUDA.	Concerned Superintendent Engineer	Superintendent Engineer Headquarters.
143	HUDA	Mortgage 1st Charge (Industrial)	15 days	Estate Officer	Concerned Zonal Administrator, HUDA	Administrator HUDA HQs.
144	Town & Country Planning	Change of land use permission for the units situated within various controlled areas of State within final published development plan of the controlled area and conforming zone (except competency of the Govt.)	60 days	Director General, Town & Country Planning	Additional Chief Secretary, Town & Country Planning	-
145	Town & Country Planning	NOC for the units falling outside controlled area but within urban areas	30 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning
146	Town & Country Planning	NOC for the units falling outside controlled area and urban area	10 days	District Town Planner	Senior Town Planner	Chief Town Planner
147	Town & Country Planning	i) License for the brick kilns & charcoal kilns under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of unregulated Development Act, 1963.	30 days	District Town Planner	Senior Town Planner	Chief Town Planner
		ii) License for stone crusher under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.	30 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning

148	Town & Country Planning	Sanction of building plans of following site/plots which does not involve composition of offence in: i. Licenced residential plotted colonies. ii. Industrial Plotted colonies iii. CLU granted sites having areas upto 2.00 acres (8093.70Sqm.).	45 days	District Town Planner	Senior Town Planner	Chief Town Planner
149	Town & Country Planning	Sanction of building plans of following sites/plots which does not involve composition of offence in:- i). Community Sites upto an area measuring 5.00 acres (20234.25 Sqm.) in licenced colonies ii) CLU granted sites having area more than 2.00 acres (8093.70 Sqm.) and upto 5.00 acres (20234.25 Sqm.). iii). Commercial component having site area upto 2.00 acres in residential plotted colony and industrial plotted colony. iv) All the CLU granted Industrial projects.	60 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning.
150	Town & Country Planning	a) Sanction of building plans of site other than mentioned at Sr.No.148 & 149.	90 days	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning	Additional Chief Secretary, Town & Country Planning
		b) Sanction of building plans of the CLU granted Industrial sites having area more than 5.00 acres (20234.25Sqm.)	60 days			
151	Town & Country Planning	Issue of occupation certificate for the building mentioned at Sr. No. 148 provided composition of offence is not involved	45 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning.
152	Town & Country Planning	Issue of occupation certificate for plot area for buildings mentioned at Sr. 149 provided composition of offence is not involved.	60 days	Senior Town Planner	Chief Town Planner	Director General, Town & Country Planning
153	Town & Country Planning	a) Issue of occupation certificate in cases other than mentioned at Sr. No. 150 & 151 above provided composition of offence is not involved.	90 days	Director General, Town & Country Planning.	Additional Chief Secretary, Town & Country Planning	-
		b) Issue of occupation certificate of CLU granted Industrial sites having area more than 5.00 acres (20234.25 Sqm.)	60 days			
154	Home	Registration of Marriage under Hindu Marriage Act- from the expiry of 15 days notice period	3 days	Tehsildar (in Rural Area)	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner
				Secretary, Municipal Committee (in Urban Area)	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner

				Deputy/Joint Municipal Commissioner (in Municipal Corporation)	Municipal Commissioner	Deputy Commissioner
155	Home	a) Renewal of Arms License (if the license is presented before the expiry date and the license issuing district is the same where service has been sought).	15 days	Sub Divisional Magistrate (except Panchkula, Faridabad, Gurgaon & Ambala Districts)	District Magistrate	-----
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	-----
				Deputy Commissioner Of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	-----
				Sub Divisional Magistrate (Ambala rural area)	District Magistrate	
				Deputy Commissioner Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	-----
				District Magistrate (except Panchkula, Faridabad Gurgaon & Ambala Districts)	Divisional Commissioner	-----
		b) Renewal of Arms License (if presented after every alternative cycle of 6 years, where police verification is necessary)	22 days	Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Sub Divisional Magistrate (Ambala Rural area)	District Magistrate	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police(Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner

156	Home	Addition/Deletion of weapon (if the license issuing district is the same where service has been sought). From the expiry of the mandatory notice period of 45 days as provided under the Arms Act.	07 days	District Magistrate (except Faridabad, Panchkula, Ambala & Gurgaon Districts)	Divisional Commissioner	-----
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon Faridabad Districts)	Commissioner of police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
157	Home	Extension of purchase period of weapon, (within permissible time period and if the license issuing district is the same where services has been sought).	07 days	District Magistrate (except Panchkula, Ambala, Faridabad & Gurgaon Districts)	Divisional Commissioner	-----
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
158	Home	Registration of Foreigners (Arrival and Departure)	Immediate	Assistant Commissioner of Police (Hq.) Ambala & Panchkula Districts	Deputy Commissioner of Police Ambala/ Panchkula	Commissioner of Police
				Assistant Commissioner of Police/HQ. Gurgaon & Faridabad Districts Foreigners Registration Officer (FRO)	Deputy Commissioner of Police Gurgaon and Faridabad	Commissioner of Police

				Deputy Superintendent of Police (HQ) (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)	Superintendent of police	Range IG
159	Home	Extension of Residential Permit of Foreigners.	05 days	Assistant Commissioner of Police HQ Ambala Urban Area, Panchkula/ Ambala Rural Area	Deputy Commissioner of Police	Commissioner of Police
				Assistant Joint Commissioner of Police Gurgaon & Faridabad HQ. Foreigners Registration Officer (FRO)	Deputy Commissioner of Police	Commissioner of Police
				Deputy Superintendent of Police HQ (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)	Superintendent of Police	Range IG
160	Home	Copy of FIR or DDR.	Immediate/ Online	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
161	Home	NOC for use of loud speakers (applicable only in case of S.D.M. obtain N.O.C. from the concerned SHO before granting permission).	05 days	Sub Divisional Magistrate (except Ambala, Panchkula, Faridabad & Gurgaon Districts)	District Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
				Deputy/ Assistant Commissioner of Police HQ, Ambala & Panchkula Districts Assistant/ Deputy/ Commissioner of Police HQ/Commissioner of Police Faridabad & Gurgaon Districts Foreigners Registration Officer (FRO)	Commissioner of Police Commissioner of Police	Divisional Commissioner Divisional Commissioner

162	Home	NOC for Fairs/Melas/Exhibition/ Sport Events etc.	05 days	Sub Divisional Magistrate (except Panchkula, Faridabad & Gurgaon & Ambala Districts)	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner
				Assistant/ Deputy Commissioner of Police HQ Ambala & Panchkula	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Joint/ Assistant Commissioner of Police, Gurgaon & Faridabad HQ.	Commissioner of Police .	Divisional Commissioner
163	Home	Stranger Verification (after receiving the verification from the other District/State of which the stranger is resident)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police	Superintendent of Police/Commissioner of Police
164	Home	Tenant/Servant Verification (if resident of local area)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
165	Home	Tenant/Servant Verification if resident of other District/State and after receiving the verification from other District/State)	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
166	Home	Other Verification related services.	30 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/ Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
167	Home	Copy of untraced report in road accident cases.	90 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
168	Home	Copy of untraced report in cases pertaining to stolen vehicles.	90 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police
169	Home	Copy of untraced report in theft cases.	60 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/ Commissioner of Police

170	Home	NOC for pre-owned vehicles.	05 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/Commissioner of Police
171	Home	Service Verification (in case of Resident of Haryana).	10 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/Commissioner of Police
172	Home	Character Verification	10 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/Commissioner of Police
173	Home	Verification for renewal of Arms License.	22 days	Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				DCP (Panchkula & Ambala Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Sub Divisional Magistrate/City Magistrate (except Faridabad, Panchkula, Gurgaon & Ambala Districts)	District Magistrate	Divisional Commissioner
174	Home	NOC for issuance/renewal of License of Arms Dealers.	15 days	Joint Commissioner of Police, Faridabad & Gurgaon Districts.	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police, Ambala & Panchkula Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				District Magistrate (except Panchkula, Ambala, Faridabad & Gurgaon)	Divisional Commissioner	-----
175	Home	Issuance of NOC for setting up of Petrol Pump, Cinema Hall etc.	15 days	District Magistrate, (except Panchkula, Ambala, Faridabad & Gurgaon)	Divisional Commissioner	-----

				Commissioner of Police for Faridabad, Gurgaon, Ambala & Panchkula Districts	Divisional Commissioner	-----
176	Home	Passport Verification	21 days	Station House Officer of the concerned Police Station	Deputy Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police/Joint Commissioner of Police	Superintendent of Police/Commissioner of Police
177	Home	Verification for fresh Arms License	30 days	Deputy Commissioner (except Panchkula Faridabad, Gurgaon & Ambala Districts)	Divisional Commissioner	-----
				Joint Commissioner of Police (Gurgaon & Faridabad Districts)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Panchkula)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Rural Areal)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
				Deputy Commissioner of Police (Ambala Urban Area)	Commissioner of Police	Divisional Commissioner
178	Social Justice and Empowerment	Ladli Social Security Allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
179	Social Justice and Empowerment	Old age Samman allowance (Pension Scheme)	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
180	Social Justice and Empowerment	Handicapped Pension	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
181	Social Justice and Empowerment	Haryana Pension to Widows and destitute Women scheme (Widow Pension)	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
182	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to destitute children scheme	120 days	District Social Welfare officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District

183	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to Kashmiri Migrant families Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
184	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to Non school going disabled children	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
185	Social Justice and Empowerment	Dwarf allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
186	Social Justice and Empowerment	Eunuch allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
187	Science & Technology	Application Form for HSCST Fellowship for doing Ph.D	120 days	Chief Scientific Engineer HSCST	Secretary/EC HSCST	Chairman/EC HSCST
188	Science & Technology	Application Form for promotion of Science Education (POSE) Scholarship for B.Sc.& M.Sc.students-after closing date	120 days	Scientific Engineer (A) SG	Principal Scientist (SG)	Director
189	Labour Deptt.	i) Registration of principal employer's establishment and license for contractors under provision of contract labour Act,1970	26 days	Addl. Labour Commissioner	Labour Commissioner	Principal Secy, Labour
		ii) Approvals of plans from Factories Department under Factories Act, 1948	45 days	Addl. Director-cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner - cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Principal Secy, Labour & Employment, Govt.of Haryana.
		iii) Factories License under Factories Act, 1948	45 days	Addl. Director-cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner - cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Principal Secy, Labour & Employment, Govt.of Haryana.
		iv) Shop Registration under Shops and Establishment Act	15 days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner
190	Forest Deptt.	Permission for felling of trees.	15 days	Divisional Forest Officer(DFO)	Conservator of Forests(CF)	Chief Conservator of Forests (CCF)
191	Forest Deptt.	NOC in respect of PLPA or Forest or Restricted lands	15 days	Divisional Forest Officer(DFO)	Conservator of Forests(CF)	Chief Conservator of Forests (CCF)
192	Horticulture Deptt.	Hort Net: Sanction of application upon submission of complete documents	21 days	Dy. Director Horticulture/National Horticulture Mission (DDH/NHM)	Joint Director	Mission Director
193	Horticulture Deptt.	MINET: Sanction of application upon submission of complete documents	16 days	Dy. Director Horticulture/ Micro Irrigation (DDH/MI)	Joint Director	Director General Horticulture
194	Horticulture Deptt.	Fruit License: Grant of Nursery Fruit License.	90 days	Dy. Director Horticulture/ Project & Nursery (DDH/P&N)	Joint Director	Director General Horticulture
195	Horticulture Deptt.	Polynet: Sanction of application upon submission of complete documents	21 days	Dy. Director Horticulture/ Fruits (DDH/F)	Joint Director	Director General Horticulture

196	Horticulture Deptt.	Seed License: Grant of Nursery Seed License	90 days	Dy. Director Horticulture/ Vegetable (DDH/V)	Joint Director	Director General Horticulture
197	Fisheries Deptt.	Services for Loan and subsidy for various schemes under FFDA: i) Selection of Pond. ii) Plan & Estimate of Pond. iii) Forwarding bank loan application to Banks. iv) Imparting training for fish culture after receiving application.	10 days 15 days 15 days 30 days	All District Officers, District Fisheries Officer-cum-Chief Executive Officer, Fish Farmer Development Agency and All Fisheries Farm Managers.	All Deputy Director Fisheries (Division Level)	Director Fisheries.
198	Fisheries Deptt.	Services for Loan and subsidy for Development of Water logged Areas. i) Selection of Pond. ii) Plan & Estimate of Pond. iii) Forwarding bank loan application to Banks. iv) Imparting training for fish culture after receiving application.	10 days 15 days 15 days 30 days	All District Officers, District Fisheries Officer-cum-Chief Executive Officer, Fish Farmer Development Agency and All Fisheries Farm Managers.	All Deputy Director Fisheries (Division Level)	Director Fisheries.
199	Fisheries Deptt.	Services for Seed supply from Government Fish Seed farm to Fish Farmers.. i) Stocking of fish seed.	In the month of Feb./ March/ July/ Aug./ Sept.	All District Officers, District Fisheries Officer-cum-Chief Executive Officer, Fish Farmer Development Agency and All Fisheries Farm Managers.	All Deputy Director Fisheries (Division Level)	Director Fisheries.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 1st June, 2016

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the schedule,-

(i) against serial number 47, under columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

	2	3	4	5	6	7
	“Public Health Engineering Department	Issuance of duplicate water/sewer bill	3 days	Concerned Sub Divisional Engineer	Concerned Executive Engineer	Concerned Superintending Engineer”;

(ii) against serial number 189, under columns 3, 4, 5, 6 and 7 of after item (iv) the following items shall be inserted, namely:-

	3	4	5	6	7
	“(v) renewal of License for contractors under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act No. 37 of 1970)	26 days	Concerned Deputy Labour Commissioner	Labour Commissioner	Additional Chief Secretary Labour and Employment
	(vi) Renewal of factory license under the provisions of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948)	45 days	Additional Director-cum-Additional Chief Inspector of Factories Haryana	Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories Haryana	Additional Chief Secretary Labour and Employment
	(vii) Renewal of registration certification under the provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958)	15 days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner”.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

199		मत्स्य पालकों के राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाएँ -मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/मार्च/जुलाई/अगस्त/सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य किसान विकास एजेंन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा।
-----	--	--	-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------

डॉ० एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 15th February, 2016

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR dated the 7th May, 2015, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Commission hereby notifies the following Services, the time limit within which these are to be provided to citizens, and the Designated Officer, First Grievances Redressal Authority and Second Redressal Authority under the Act as per the schedule given below:-

Schedule

Sr. No.	Name of the Department	Name of Service	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	Revenue	(i) Certified copies of all documents at Fard Centre level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, Mutation, etc.	1 day	Duty Patwari I	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division.
		(ii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is less than 5)	2 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division
		(iii) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 5 but less than 15)	3 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division.
		(iv) Certified copies of all documents at Village level i.e. Record of Rights (Jamabandi), Girdawri, mutation, etc. (if the copies sought are manual and number of pages sought is more than 15)	7 days	Patwari	Tehsildar of concerned Tehsil	SDM of the Concerned Sub Division

183	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to Kashmiri Migrant families Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
184	Social Justice and Empowerment	Financial Assistance to Non school going disabled children	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
185	Social Justice and Empowerment	Dwarf allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
186	Social Justice and Empowerment	Eunuch allowance Scheme	120 days	District Social Welfare Officer of the concerned District	Addl. Deputy Commissioner of the concerned District	Deputy Commissioner of the concerned District
187	Science & Technology	Application Form for HSCST Fellowship for doing Ph.D	120 days	Chief Scientific Engineer HSCST	Secretary/EC HSCST	Chairman/EC HSCST
188	Science & Technology	Application Form for promotion of Science Education (POSE) Scholarship for B.Sc.& M.Sc.students-after closing date	120 days	Scientific Engineer (A) SG	Principal Scientist (SG)	Director
189	Labour Deptt.	i) Registration of principal employer's establishment and license for contractors under provision of contract labour Act, 1970	26 days	Addl. Labour Commissioner	Labour Commissioner	Principal Secy. Labour
		ii) Approvals of plans from Factories Department under Factories Act. 1948	45 days	Addl. Director-cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner - cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Principal Secy. Labour & Employment, Govt. of Haryana.
		iii) Factories License under Factories Act. 1948	45 days	Addl. Director-cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner - cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Principal Secy. Labour & Employment, Govt. of Haryana.
		iv) Shop Registration under Shops and Establishment Act	15 days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner
190	Forest Deptt.	Permission for felling of trees.	15 days	Divisional Forest Officer(DFO)	Conservator of Forests(CF)	Chief Conservator of Forests (CCF)
191	Forest Deptt.	NOC in respect of P.I.P.A or Forest or Restricted lands	15 days	Divisional Forest Officer(DFO)	Conservator of Forests(CF)	Chief Conservator of Forests (CCF)
192	Horticulture Deptt.	Hort Net: Sanction of application upon submission of complete documents	21 days	Dy. Director Horticulture/National Horticulture Mission (DDH/NHM)	Joint Director	Mission Director
193	Horticulture Deptt.	MINET: Sanction of application upon submission of complete documents	16 days	Dy. Director Horticulture/Micro Irrigation (DDH/MI)	Joint Director	Director General Horticulture
194	Horticulture Deptt.	Fruit License: Grant of Nursery Fruit License.	90 days	Dy. Director Horticulture/Project & Nursery (DDH/P&N)	Joint Director	Director General Horticulture
195	Horticulture Deptt.	Polynet: Sanction of application upon submission of complete documents	21 days	Dy. Director Horticulture/Fruits (DDH/F)	Joint Director	Director General Horticulture